

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या

60/2014-15

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम — :- प्रखंड विकास कार्यालय, धरहरा, मुँगेर।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि:- 2010-11 से 11-12 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम:- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का जिला पदा०-(i) श्री एस० एन० झा, उप विकास
नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :- आयुक्त, 01.04.10 से 08.07.10 तक।

(ii) श्री विपिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, 09.

07.10 से 31.03.12 तक।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम एवं कार्यकाल :-
प्रखंड विकास पदाधिकारी,

(i) श्री किसलय किशोर, 01.04.2010 से 08.07.10 तक।

(ii) श्री राम विलास राम, 09.07.10 से 31.03.12 तक।

प्रधान सहायक

(i) श्री लाल बाबुआ मरांडी, दि० 01.04.10 से 7.12.10 तक

(ii) श्री भरत वर्णवाल, दि० 8.12.10 से 24.1.11 तक

(iii) श्री सुरेश कुमार, दि० 25.01.11 से 31.3.12 तक

नाज़िर

(i) श्री प्रभाकर प्रसाद, दि० 1.4.10 से 31.03.12 तक

(च) अंकेशन में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी (i) श्री रंजीत कुमार, प्रधान सहायक।

/ कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :-

(ii) श्री प्रभाकर प्रसाद, नाज़िर

(छ) वरीय अंकेशकों का नाम :-

(1) श्री मनोज कुमार प्रसाद, व०अ०-02

(2) श्री सुरेन्द्र कुमार झा, व०अ०-2

(ज) अंकेशन प्रारम्भण तिथि :-

28.11.2013 / 20.06.2014

(झ) अंकेशन समाप्ति तिथि :-

22.09.2014

(ञ) अंकेशन में व्यतीत कार्य दिवस :-

55 कार्य दिवस।

(ट) अंकेशन में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों - अ० प्र० के परिशिष्ट (क) पर अंकित है।

की सूची:-

(2) अंकेशन का क्षेत्र :-

(i) अंकेशन के प्रकार -विशेष अंकेशन।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश सं० एवं तिथि - विभागीय ज्ञापक 2916/2297 एफ० ए० दिनांक 04.07.1961 तथा ज्ञाप सं० 121 दिनांक - 25.10.13 में निहित अनुदेशानुसार इस लेखा का विशेष अंकेक्षण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र - इस प्रखंड कार्यालय के क्षेत्र में कुल 13 (तेरह) पंचायत हैं। इन पंचायतों के विकास हेतु सरकार द्वारा समय -2 पर योजनाओं एवं अन्य मदों में राशि प्रदान की जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके।

(iv) वित्तीय स्रोत - चेक से प्राप्त राशि एवं आवंटन के विरुद्ध निकासी राशि।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति - अंकक्षित अवधि में कोषागार से निकासी तथा जमा की गयी राशियों का शत प्रतिशत सत्यापन जिला कोषागार मुंगेर के अभिलेखों से किया गया तथा सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति - महालेखाकार का पूर्व का निरीक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के मांग के बावजूद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति - अंकेक्षण में मांग के बावजूद भी वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप अनुपालन की समीक्षा नहीं की जा सकी।

(3) वित्तीय समीक्षा :-

(i) अंकक्षित अवधि में विभिन्न शीर्षों के विभिन्न मद में प्राप्त आवंटन एवं उसके विरुद्ध किये गये निकासी राशि की विवरणी परिशिष्ट "ख" पर अंकित है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राप्त आवंटन से अधिक की निकासी नहीं की गयी थी वर्ष 2010-11 में शीर्ष 2053 जिला प्रशासन 2505 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा वर्ष 2011-12 में शीर्ष 2515 / 101 पंचायत, 2515 / 102 सामुदायिक विकास मद प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी का मानदेय एवं 2505 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के बचत राशि के प्रत्यापण की स्थिति प्रत्यापण पत्र के अभाव में अस्पष्ट रहा। अतः प्रशासी विभाग द्वारा उक्त शीर्षों के बचत राशि के प्रत्यापण की समीक्षा कर लिया जाय। तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(ii) विभिन्न योजनाओं के मद से चेक से प्राप्त आय एवं व्यय राशि की विवरणी परिशिष्ट "ग" पर द्रष्टव्य है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि एक वर्ष की अवशेष राशि दूसरे वित्तीय वर्ष में प्रारम्भण शेष के रूप में दर्शाकर व्यय किया गया। जहाँ तक योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रश्न है। अंकेक्षण क्रम में अनेकों गंभीर अनियमितता पायी गयी। तथा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को भुगतान हेतु बैंक एडवाइस प्रेषित किये जाने के कुछ दिनों के बाद कुछ लाभार्थियों को अयोग्य कुछ को दोबारा भुगतान बतलाकर उनके भुगतान पर रोक लगाने तथा भुगतीत राशि को उनके बैंक खाता से हस्तांतरित कर प्रखंड कार्यालय (पदा०) के खाता में जमा करने का अनुरोध, पत्रों द्वारा बैंकों से किया जाना, अंकेक्षण अवधि के अनेकों योजनाएँ

अग्रिम दिशं जाने के बावजूद भी अंकक्षण अवधि तक पूर्ण नहीं किया जाना आदि। अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि ऐसी अनियमितताओं को रोका जाय अन्यथा सरकारी कोष के दुरुपयोग की संभावना बनी रहेगी।

(iii) जिला पदाधिकारी, मुँगेर द्वारा गठित जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10.06.13 में प्रतिवेदित बैंक पासबुकों में अधिक दर्शायी गयी राशि तथा उनके कारणों से संबंधित विवरणी परिशिष्ट "घ" पर अंकित है। दिनांक 10.06.13 बैंकों के पासबुकों में बैंक पंजी से अधिक दर्शायी गयी राशि के एवज में अंकक्षण क्रम में संबंधित बैंक का समाधान विवरणी तैयार कर, बैंक पंजी तथा बैंक पासबुक के अंतर को संतुलित (शून्य) करने हेतु निर्गत आपत्ति के अनुपालन में आवश्यक संगत प्रविष्टि बैंक पंजी में कर अंतर राशि को संतुलित किया गया परन्तु यूकों बैंक, धरहारा खाता सं० 12295 तथा 12297 में अधिक दर्शायी गई राशि का अवशेष रह गया जिससे अनुपालन में बतलाया गया कि छानवीन कर आवश्यक प्रविष्टि बैंक पंजी में कर ली जायेगी। इस ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तथा अंकक्षण का सुझाव है कि प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार कर बैंक पंजी तथा बैंक पासबुक के अंतर राशि को संतुलित किया जाय।

(iv) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के राशि के भौतिक सत्यापन की स्थिति :- अंकक्षण प्रारंभण तिथि - 28.11.13 को सामान्य रोकड़ पुस्त के प्रारंभण शेष दिनांक - 27.11.13 का संवरण शेष राशि का विभागीय ज्ञापांक 503 दिनांक - 29.01.76 के निदेशानुसार भौतिक सत्यापन निम्नवत् कराया गया। :-

दिनांक — 27.11.13 का सामान्य रोकड़ पुस्त	9,34,17,937.46
संवर्ण शेष	
भौतिक सत्यापन में पायी गयी राशि	10,02,51,339.46
अधिक पायी गयी राशि	6833402.00

भौतिक सत्यापन में पायी गयी राशि की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट “ड” पर अंकित है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि कुछ बैंकों के पासबुक में प्रखंड कार्यालय द्वारा संघारित बैंक पंजी में अंकित राशि से अधिक जमा दर्शायी गयी थी जिसके फलस्वरूप भौतिक सत्यापन में रू0 6833402.00 अधिक पायी गयी।

विवरण निम्न है :-

क्र० सं०	बैंक का नाम एवं शाखा	खाता सं०	बैंक पंजी की राशि	बैंक पासबुक की राशि	बैंक पासबुक में दर्शायी गयी अधिक राशि
1	इलाहाबाद बैंक, घटवारी	801	7,34,543.00	11,16,543.00	3,82,000.00
2	इलाहाबाद बैंक, सिधिया	8174	3,66,584.00	4,04,581.00	37,997.00
3	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर	11009	31,68,132.70	33,33,132.70	1,65,000.00
4	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हेमजापुर	18	22,13,700.00	22,37,700.00	24,000.00

5	केनरा बैंक, बंगलवाँ	4166	5,88,667.00	18,58,821.00	12,70,154.00
6	सेन्ट्रल बैंक, जमालपुर	16513	2,91,873.50	2,97,694.50	5,821.00
7	यूको बैंक धरहरा	12295	2,00,69,580.50	2,21,79,700.50	21,10,120.00
8	यूको बैंक धरहरा	12297	16,52,361.02	18,70,450.02	2,18,089.00
9	यूको बैंक धरहरा	12303	22,115.00	22,055.00	-60.00
10	यूको बैंक धरहरा	91	2,51,12,277.00	2,56,86,277.00	5,74,000.00
11	स्टेट बैंक, धरहरा	88043	1,53,629.00	20,49,910.00	18,96,281.00
12	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जमालपुर	901	6,76,736.64	8,26,736.64	1,50,000.00
				कुल योग—	68,33,402.00

अंकेक्षण क्रम में दिनांक 10.06.12 तक बैंक पंजी तथा बैंक पासबुक के अन्तर की राशि की जाँच कर बैंक समाधान तैयार कर अंतर की राशि संतुलित किया गया, तदनुसार आपत्ति निर्गत की गयी। आपत्ति के अनुपालन में दिनांक 28.11.13 के बाद आवश्यक प्रविष्टी प्रखंड कार्यालय के संगत अभिलेखों में किया गया। प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कि अपने स्तर से दिनांक 10.06.13 के बाद बैंक पंजी तथा बैंक पासबुक के अंतर राशि की जाँच कर बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंतर राशि को संतुलित किया जाय। तथा नियमित रूप में भौतिक सत्यापन के समय बैंक समाधान विवरणी तैयार कर संवरण शेष के अंतर जमा राशि का पूर्ण विवरण अंकित किया जाए।

(v) रोकड़ पुस्त में संवरण शेष की स्थिति :-

सामान्य रोकड़ पुस्त के दिनांक 01.04.10 के प्रारंभण शेष दिनांक 31.03.11 तथा 31.03.2012 का संवरण शेष एवं अंकेक्षण प्रारंभण तिथि - 28.11.13 का प्रारंभण शेष (27.11.

2013 का संवरण शेष) राशि की विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट “च” एवं “घ” पर अंकित है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावश्यक रूप से राज्य कोष से राशि की निकासी कर बैंक में जमा रखी गयी थी जो बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 के प्रतिकूल है।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों का विवरण :-

अंकेक्षित कार्यालय के अंकेक्षणावधि में स्वीकृत बल / कार्यरत बल / रिक्त पदों का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट “ज” पर द्रष्टव्य है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ पदों पर स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल की कमी थी, जिससे ग्रामीण के कार्यों में बाधा पहुँचना स्वभाविक है। अतः इस ओर प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

भाग - 2

5. योजना कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने के कारण भुगतीत अग्रिम की राशि रु0 107500/-वसूली योग्य :-

पिछड़ा प्रक्षेत्र अनुदान निधि योजना से संबंधित वर्ष 2010-11 के योजना अभिलेखों, योजना पंजी तथा सहायक रोकड़ पंजी की जाँच में पाया गया कि योजना सं0 04/2009-10 औड़ा बगीचा पंचायत के अंतर्गत मोहनपुर ग्राम में पंकज कुमार सिंह के धर से पशुपति सिंह के धर होते हुए मुख्यालय तक पी0 सी0 सी0 निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि रु0 404000.00 के लिए अभिकर्ता श्री रामाकान्त सिंह, पंचायत सचिव से दिनांक 2.6.10 को एकरारनामा किया गया जिसके आलोक में पत्रांक 4 मु0 दिनांक 02.06.10 से कार्यादेश के द्वारा अभिकर्ता श्री सिंह को दो माह में कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया। योजना कार्य सम्पन्न करने हेतु अभिकर्ता श्री सिंह को कुल रु0 107500.00 अग्रिम का भुगतान निम्न प्रकार किया गया।

भुगतान तिथि	राशि
11.06.2010	7500.00
04.07.10	100000.00
कुल -	107500.00

अभिकर्ता श्री रामाकान्त सिंह, पंचायत सचिव, घरहरा द्वारा रू0 107500/- अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बावजूद भी योजना कार्य कार्यादेश के चार वर्षों के बाद तक (अंकेक्षण समाप्ति तक) प्रारंभ नहीं किया पाया गया। अंकेक्षण क्रम में ज्ञात हुआ कि श्री सिंह का स्थानांतरण भी हो चुका है, वर्तमान में वे प्रखंड विकास कार्यालय संग्रामपुर में पदस्थापित हैं। ऐसी स्थिति में अभिकर्ता श्री सिंह द्वारा उक्त योजना को सम्पन्न करने की संभावना नहीं है। जिसके कारण भुगतीत राशि रू0 107500.00 वसूलनीय है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि श्री रामाकान्त सिंह, पंचायत सचिव से रू0 107500.00 की वसूली की कार्यवाई की जा रही है। स्थानांतरण के फलस्वरूप श्री सिंह वर्तमान में प्रखंड विकास कार्यालय संग्रामपुर में पदस्थापित हैं। उनसे राशि वसूलकर संबंधित शीर्ष में जमा कर दिया जायगा।

अतः अभिकर्ता श्री रामाकान्त सिंह, पंचायत सचिव से योजना मद में भुगतीत अग्रिम की राशि रू0 107500.00 वसूलकर संबंधित योजना कोष में जमा करायी जाय एवं दूसरे अभिकर्ता का चयन कर संबंधित योजना को पूर्ण कराया जाय ताकि सरकार का उद्देश्य पूर्ण हो सके। इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

6. इंदिरा आवास निर्माण (आपकी सरकार आपके द्वार) हेतु आयोग्य लाभार्थियों की भुगतीत राशि रू0 55,000.00 वसूली योग्य :-

इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम) से संबंधित वर्ष 2010-11 के अभिश्रव तथा कैनरा बैंक, बंगलवा के खाता सं० 4166 के बैंक समाधान विवरणी की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि पत्रांक 658 दिनांक 24.05.10 के द्वारा इंदिरा आवास निर्माण (आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम) हेतु ग्राम पंचायत बंगलवाँ के चयनित 55 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की राशि ₹० 11000.00 प्रति लाभार्थी की दर से ₹० 605000.00 भुगतान हेतु चेक सं० 932039 दि० 24.05.10 शाखा प्रबंधक कैनरा बैंक, बंगलवाँ को प्रेषित किया गया। इस चेक की राशि ₹० 605000.00 की निकासी कैनरा बैंक, बंगलवाँ के खाता सं० 4166 से दिनांक 7.05.10 को बैंक पासबुक में दर्शाया गया।

पत्रांक 659 दिनांक 24.05.10 के द्वारा इंदिरा आवास निर्माण हेतु ग्राम पंचायत बंगलवाँ के चयनित 11 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की राशि ₹० 11000/- प्रति लाभार्थी की दर से ₹० 121000.00 के भुगतान हेतु चेक सं० 932040 दिनांक 24.05.10 शाखा प्रबंधक कैनरा बैंक, बंगलवाँ को प्रेषित किया गया। इस चेक की राशि ₹० 121000.00 की निकासी कैनरा बैंक बंगलवाँ के खाता सं० 4166 से दिनांक 27.05.10 को बैंक पासबुक में दर्शाया गया।

उपर्युक्त पत्रांकों के साथ संलग्न लाभार्थियों की सूची में निम्न आयोग्य लाभार्थियों का नाम भी शामिल था।

क्र० सं०	पत्रांक / दिनांक	सूची का क्रमांक	बी० पी० एल० क्रमांक	पहचान सं०	लाभार्थी / पिता / पति / ग्राम का नाम	खाता सं०	राशि
1	658 / 24.5.10	10	1178	1136	जागेश्वरी देवी / महेन्द्र मांझी / बंगलवा	5464	11000.00

2	658 / 24. 5.10	14	340	2688	शोभा देवी / कजरू मांझी / छिलका	6172	11000.00
3	658 / 24. 5.10	17	496	308	पुतुल देवी / राजोतुरी / वंगलवा	6159	11000.00
4	658 / 24. 5.10	22	845	2015	अनखा देवी / ननकेश्वर मांझी / सवैया	4700	11000.00
5	658 / 24. 5.10	23	556	1378	सुनीता देवी / अशोक मोदी / वनवर्षा	5416	11000.00
6	658 / 24. 5.10	29	1227	1026	रेशमा देवी / बालेश्वर मांझी / कोयलो	3388	11000.00
7	658 / 24. 5.10	30	560	583	मसो० जलवा देवी / परमेश्वरी मांझी / वंगलवा	5688	11000.00
8	658 / 24. 5.10	46	1114	1323	अन्जना देवी / सरयुग मांझी / वंगलवा	5132	11000.00
9	659 / 24. 5.10	03	104	1268	मसो० पारो देवी / स्व० काली चरण मांझी / वंगलवा	6228	11000.00
10	659 / 24. 5.10	08	93	3105	पार्वती देवी / लक्ष्मण यादव / वंगलवा	6254	11000.00
					कुल योग -		110000 / -

प्रखंड विकास कार्यालय, घरहरा के पत्रांक - 722 दिनांक 09.06.2010 के द्वारा शाखा प्रबंधक, कैनरा बैंक, बंगलवाँ से उपर्युक्त 10 लाभार्थियों को अयोग्य बतलाकर उनके खाता में हस्तांतरित इंदिरा आवास निर्माण की कुल राशि रु० 110000/- को प्रखंड विकास कार्यालय, (पदाधिकारी) के खाता सं० 4166 में उनके खाता से हस्तांतरित कर जमा करने का अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में शाखा प्रबंधक, कैनरा बैंक, बंगलवाँ द्वारा 5 (पाँच) अयोग्य लाभार्थियों को इंदिरा आवास हेतु उक्त भुगतीत राशि $(11000 \times 5) = 55000.00$ उनके खाता से हस्तांतरित कर प्रखंड कार्यालय, के खाता सं० 4166 में दिनांक 11.06.10 को जमा दर्शाया गया। परन्तु किन अयोग्य लाभार्थियों से वसूलकर प्रखंड के बैंक खाता में राशि जमा की गयी थी का विवरण अंकेक्षण को प्राप्त नहीं हो सका। शेष पाँच (5) अयोग्य लाभार्थियों की भुगतीत

इंदिरा आवास की राशि रू0 11000.00 की दर से कुल रू0 55000.00 की वसूली अंकेक्षण तिथि तक नहीं पायी गया। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि कैनरा बैंक, बंगलवाँ से पत्राचार कर अयोग्य पाँच लाभार्थियों की सूची प्राप्त कर उनको भुगतीत राशि वसूली हेतु समुचित कार्रवाई की जायेगी।

अतः इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) हेतु अयोग्य लाभार्थियों के नाम पर भुगतीत कुल राशि रू0 55000.00 जिसकी सूची अंकेक्षण को अप्राप्त रहा को पहचान कर तथा संबंधित अयोग्य लाभार्थियों से वसूल कर संबंधित योजना कोष में जमा करायी जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय। साथ ही प्रशासी विभाग का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि ऐसी अनियमितताएँ कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है, जिसके लिए दोषी व्यक्ति / व्यक्तियों पर कार्रवाई कर ऐसी अनियमितताओं को रोका जाय अन्यथा सरकारी कोष का दुरुपयोग होता रहेगा।

7. इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) के एक लाभुक को प्रथम किस्त की राशि रू0 30,000.00 का दोहरा भुगतान (एक स्वयं तथा दूसरा पत्नी के नाम पर) वसूली योग्य :-

इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) से संबंधित वर्ष 2010-11 के अभिश्रव की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि एक लाभुक श्री सुधीर मंडल, पिता -- स्व0 देवी मंडल, वी. पी. एल. क्रमांक -- 353, पारिवारिक पहचान सं0 -- 711 ग्राम -- पचरुखी, पंचायत -- ईटवा को एडवाइस के ज्ञापांक 641 दिनांक 22.05.10 से चेक सं0 --

105215 द्वारा लाभुक बैंक खाता सं० 10380 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर में प्रथम किस्त की राशि रू० 30000.00 भुगतान किया गया।

पुनः लाभुक की पत्नी - पुतुल देवी, पति - श्री सुधीर मंडल, ग्राम - पचरुखी, पंचायत -- ईटवा, बी० पी० एल० क्रमांक - 353, पारिवारिक पहचान सं० - 711, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर के लाभुक (पुतुल देवी) को बैंक खाता सं० - 6495 में एडवाइस के ज्ञाप सं० 326 दिनांक 31.5.10 से चेक सं० 105223 से इंदिरा आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि रू० 30000.00 का भुगतान किया गया।

इस प्रकार श्री सुधीर मंडल को प्रथम बार स्वयं के नाम पर तथा दूसरी बार उनकी पत्नी के नाम पर इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) के प्रथम किस्त की राशि रू० 30000.00 का भुगतान किया गया। जो नियम के प्रतिकूल है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति को बिना अनुपालन किये अंकेक्षण को वापस किया गया।

अतः श्री सुधीर मंडल को इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) के प्रथम किस्त की राशि रू० 30,000.00 का दोहरा भुगतान मानते हुए एक बार स्वयं के नाम तथा दूसरी बार पत्नी के नाम पर भुगतीत रू० 30,000.00 संबंधित व्यक्ति से वसूल कर योजना कोष में जमा किया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

8. बी० पी० एल० सूची में नाम दर्ज नहीं रहने के बाबजूद भी इंदिरा आवास निर्माण योजना का लाभ देकर रू० 30,000.00 का भुगतान राशि वसूली योग्य :-

बी० पी० एल० सूची तथा बैंक एडवाइस के साथ लाभुकों के संलग्न सूची के जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) में लाभुक पविया देवी, पति - स्व० शंभुनाथ मिश्रा, ग्राम पंचायत ईटवा का नाम बी० पी० एल० सूची में दर्ज नहीं पाया गया जिसके कारण उसकी पारिवारिक पहचान भी दर्ज नहीं पाया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर को भेजे गये एडवाइस के ज्ञाप सं० 640 दिनांक 22.5.10 पविया देवी, पति - स्व० शम्भु नाथ मिश्रा के संदर्भ में काल्पनिक बी० पी० एल० क्रमांक 17, पारिवारिक पहचान सं० - 2118 दर्ज कर बैंक खाता सं० 9300 में प्रथम किस्त की राशि रु० 30000.00 का भुगतान किया पाया गया। नियमतः इंदिरा आवास निर्माण योजना के लाभुकों का चयन बी० पी० एल० सूची के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार लाभुक पविया देवी का चयन ही अनियमित था। लाभुक पविया देवी का चयन उचित प्रक्रिया को न आपनाते हुए किया गया। इस संबंध में अंकेक्षण क्रय में निर्गत आपत्ति को प्रखंड कार्यालय द्वारा बिना अनुपालन किये अंकेक्षण को वापस कर दिया गया।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि तथ्यों की जाँच अपने स्तर से करायी जाय तथा दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। तथा बी० पी० एल० सूची में नाम दर्ज नहीं रहने पर चयनित लाभुक के अयोग्य लाभुक मानकर उनको इंदिरा आवास योजना हेतु भुगतीत राशि रु० 30000.00 वसूलकर योजना कोश में जमा की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(9) सरकारी सेवक / उनके आश्रित को इंदिरा आवास योजना मद में भुगतीत राशि रु० 30000.00 वसूली योग्य :-

इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) से संबंधित अभिलेखों वर्ष 2010-11 की जाँच एवं सत्यापन संगत अभिलेखों से करने पर पाया गया कि बी० पी० एल० सूची में लाल स्याही से लिखा पाया गया कि श्री मनोज सिंह, ग्राम — पंचरुखी, पंचायत — ईटवा, बी० पी० एल० क्रमांक 734, पारिवारिक पहचान सं०— 2518, पंचायत शिक्षक है तथा आवास पाने हेतु अयोग्य है। ऐसा लिखा पाया गया। परन्तु इंदिरा आवास के लाभुकों के भुगतान हेतु प्रेषित बैंक एडवाइस के ज्ञापांक -2 (मु०) दिनांक — 05.01.11 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर में श्री मनोज सिंह को इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) का लाभ देकर उक्त बी० पी० एल० क्रमांक एवं पहचान सं०— दर्शाकर उनकी पत्नी सुनीता देवी पति — श्री मनोज सिंह, बैंक खाता सं० 7495 में प्रथम किस्त की राशि रू० 30000.00 का भुगतान किया पाया गया। नियमतः सरकारी सेवक को इंदिरा आवास निर्माण योजना का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इस संबंध में निर्गत आपत्ति को प्रखंड विकास कार्यालय द्वारा बिना अनुपालन किये अंकक्षण को वापस कर दिया गया।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि उपयुक्त वर्गीत वस्तु स्थिति को जाँच अपने स्तर से करायी जाय तथा तथ्य सही पाये जाने पर आवश्यक कार्रवाई सहित सरकारी सेवक को इंदिरा आवास निर्माण योजना के लाभुक के नाम पर भुगतीत रू० 30000.00 उनसे वसूलकर योजना शीर्ष में जमा किया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(10) अनुमान्य दर से अधिक भुगतीत आवास किराया भत्ता रू० 3628.00 वसूली योग्य :-

शीर्ष 2235 समाजिक सुरक्षा से संबंधित वर्ष 11-12 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि श्री मती रंजना स्वर्णाकार, लेखा लिपिक, प्रखंड विकास कार्यालय जमालपुर से स्थानान्तरण के फलस्वरूप प्रखंड विकास कार्यालय धरहरा में दिनांक 04.06.11 को योगदान की। योगदान के पश्चात लगातार छः महीने (जून 11 से नवम्बर 11) तक पूर्व पदस्थापित स्थान के लिए अनुमान्य दर से आवास किराया भत्ता का भुगतान किया गया। जबकि बिहार राज्य कर्मचारी आवास किराया भत्ता नियमावली 1980 के निहित नियम - 5 के खंड - 1 / 3 के अनुसार स्थानान्तरण के फलस्वरूप योगदान करने पर पूर्व पदस्थापन का अनुमान्य आवास किराया भत्ता से अधिक होगा तो प्रथम दो माह तक पूर्व पदस्थापन का अनुमान्य आवास किराया भत्ता का भुगतान अनुमान्य होगा। इस प्रकार श्रीमती स्वर्णाकार को चार माह का मकान किराया भत्ता निर्धारित अवधि से अधिक के लिए भुगतान किया गया। जिसके फलस्वरूप श्रीमती स्वर्णाकार को रु0 3628.00 अनुमान्य दर से अधिक आवास किराया भत्ता का भुगतान किया गया। विवरण निम्न है :-

विपत्र सं० / वर्ष	भुगतान तिथि	माह का नाम	मूल वेतन	पूर्व	नव	अधिक भुगतीत राशि
				पदस्थापन का अनुमान्य आवास भत्ता की	पदस्थापन का अनुमान्य आवास भत्ता की	

					भुगतित राशि				राशि
	25-01-	जून							
31/11-12	2012	2011	17620	10%	1762	5%	881		
	25-01-	जुलाई							
31/11-12	2012	2011	18150	10%	1815	5%	908		
	25-01-	अगस्त							
31/11-12	2012	11	18150	10%	1815	5%	908	907	
	25-01-	सितम्बर							
31/11-12	2012	11	18150	10%	1815	5%	908	907	
	13-01-	अक्टूबर							
43/11-12	2012	11	18150	10%	1815	5%	908	907	
	13-01-	नवम्बर							
43/11-12	2012	11	18150	10%	1815	5%	908	907	
									3628

इस संबंध में अंकेक्षण क्रम में निर्गत आपत्ति को कार्यालय के द्वारा बिना अनुपालन किये वापस कर दिया गया।

अतः रू0 3628.00 श्री मती रंजना स्वर्णकार से वसूलकर सरकारी कोष के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(11) वैट मद में रू0 19090.00 कम कटौती किया जाना राजस्व की क्षति :—

पिछड़ा प्रक्षेत्र अनुदान कोष योजना (BRGF) से संबंधित योजनाभिलेखों, योजना पंजी, मापी पुरत तथा सहायक रोकड़ पंजी की जाँच में पाया गया कि योजना हेतु क्रीत सामग्रियों पर वैट की कटौती सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर किये जाने के कारण रू0 19090.00 को कम कटौती की गयी तथा अभिकर्ता को कार्य पूर्ण राशि का अंतिम भुगतान अग्रिम समायोजन के उपरान्त शेष राशि अंकेक्षित अवधि में किया गया। बिहार वैट अधिनियम, 2005 के अनुसार विभागीय अभिकर्ता द्वारा अपंजीकृत प्रतिष्ठानों से क्रय की गयी सामग्रियों के मूल्य पर वैट के प्रभावी दर से वैट की कटौती, कार्य पूर्ण राशि के अंतिम भुगतान पर करना अनिवार्य है। परन्तु जाँच में पाया गया कि योजना हेतु क्रीत कुछ सामग्रियों पर वैट की कटौती अनुमान्य दर से कम पर किया गया तथा कुछ सामग्रियों के मूल्यवार गणना दर्शाये बिना वैट मद में राशि की कटौती दर्शायी गयी जो वैट की कटौती योग्य राशि से कम पायी गयी। फलस्वरूप वैट मद में कुल रू0 19090 की कम कटौती किये जाने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई। पिछड़ा प्रक्षेत्र अनुदान कोष योजना से संबंधित वर्ष 2009-10 को योजनाओं में क्रीत सामग्रियों पर अंकेक्षित अवधि में वैट की कम कटौती किये

जाने कारण रू0 19090.00 का सरकारी राजस्व से वंचित किया गया। पूर्ण विवरण परिशिष्ट "इ" पर अंकित है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में वैट मद में कम कटौती की राशि को अभिकर्ता से वसूलकर संबंधित शीर्ष में जमा कर दी जायेगी का उल्लेख किया गया।

अतः वैट मद में कम कटौती की राशि रू0 19090 की राजस्व की क्षति की वसूली संबंधित अभिकर्ता से कराकर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(12) अपूर्ण योजना एक लम्बी अवधि से स्थगित, अवशेष अग्रिम राशि रू0 330347.00 आपत्तिअन्तर्गत :-

विभिन्न योजनाओं से संबंधित योजना अभिलेखों को जाँच संबंधित अभिलेखों (योजना पंजी, मापीपुस्त) से किये जाने पर पाया गया कि परिशिष्ट "ज" में अंकित विभिन्न योजनाएँ अंकेक्षण तिथि तक पूर्ण तथा अंतिमीकरण नहीं किया जा सका था। परिशिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी योजनाओं में प्राक्कलित राशि से कुछ कम तक राशि अग्रिम स्वरूप अभिकर्ता को भुगतान कर दिया गया था। परन्तु मापी पुस्त के अनुसार अग्रिम के अनुरूप कार्य नहीं कराया जा सका था तथा योजना अपूर्ण पाया गया। वर्ष 2012 के पश्चात उक्त योजनाओं में किसी प्रकार का कार्य होना अंकित नहीं था। प्राप्त सूचनानुसार कुछ अभिकर्ता का स्थानान्तरण भी हो चुका है। योजना अपूर्ण रखे जाने की स्थिति गंभीर है। विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अग्रिम से कम कार्य के फलस्वरूप (मापी पुस्त के अनुसार) कुल रू0 330347.00 अभिकर्ता के पारा सरकारी राशि अवशेष रहा जो स्पष्ट रूप से सरकारी राशि का दुरुपयोग है।

उक्त रिथिति में सुझाव दिया जाता है कि वरीय पदाधिकारी द्वारा योजना का भौतिक जाँच कर अधूरे कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए ताकि योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकें। पूर्ण नहीं होने की रिथिति में सम्पूर्ण दी गयी अग्रिम राशि उत्तरदायी / दोषी व्यक्ति से वसूलीयोग्य होगी। तत्काल रु० 330347.00 आपत्तिअंतर्गत रखा जाता है।

(13) दो पत्नी के नाम पर इंदिरा आवास योजना में दी गयी, किसी एक को प्रदत्त प्रथम किस्त राशि रु० 30000.00 आपत्तिअंतर्गत :-

इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) से संबंधित वर्ष 2010-11 के अभिश्रवों की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि अमोला देवी पति दीपक मंडल ग्राम+पंचायत - इटवा, बी० पी० एल० क्रमांक 285, पारिवारिक पहचान संख्या 4482 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दशरथपुर में लाभार्थी का संख्या 2262 को एडवाइस के ज्ञापांक - 35 दिनांक - 31.05.10 चेक सं० 105226 के द्वारा इन्दिरा आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि रु० 30000.00 का भुगतान दिखाया गया। इस भुगतान के पूर्व में भी बी० पी० एल० क्रमांक 285 पारिवारिक पहचान सं० 4482 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दशरथपुर के लाभार्थी के खाता सं०- 11068, लाभार्थी का नाम - संगीता देवी पति - दीपक मंडल, ग्राम - पचरुखी, पंचायत - इटवा को एडवाइस के ज्ञापांक - 641 दिनांक - 22.05.10 चेक सं० - 105215 के द्वारा प्रथम किस्त की राशि रु० 30000.00 का भुगतान किया पाया था।

बी० पी० एल० क्रमांक एवं पारिवारिक पहचान तथा पति के नाम का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दीपक मंडल को दो पत्नी के नाम पर इन्दिरा आवास की राशि रु० 30000.00 का भुगतान किया गया था। दोनों पत्नी को अलग -2 इन्दिरा आवास का लाभ दिया

गया। एक लाभुक को दो पत्नी के नाम पर अलग-2 इन्दिरा आवास निर्माण की राशि का भुगतान नियम के प्रतिकूल प्रतीत होता है। यद्यपि इन्दिरा आवास निर्माण हेतु सरकारी पत्र एवं दिशानिर्देश की प्रति अंकेक्षण में अनुपालन रहा फलस्वरूप उक्त भुगतान की पूर्ण समीक्षा नहीं की जा सकी। इस संबंध में अंकेक्षण क्रम में निर्गत आपत्ति को कार्यालय के द्वारा बिना अनुपालन किये वापस कर दिया गया जो अंकेक्षण की अवहेलना का द्योतक है।

अतः एक लाभुक को दो पत्नी के नाम पर अलग-2 इन्दिरा आवास निर्माण हेतु भुगतीत राशि के संबंध में अंकेक्षण का सुझाव है कि उच्च पदाधिकारी / प्रशासी विभाग द्वारा सरकारी पत्र एवं दिशानिर्देश के आलोक में नियमानुकूल समीक्षा कर अनुपालन से वित्त (अं०) विभाग, को अवगत कराया जाए तब तक एक पत्नी के नाम पर अग्रिम राशि रू० 30000.00 आपत्ति अंतर्गत रखा जाता है। अन्यथा कां स्थिति में दोषी / उत्तरदायी व्यक्ति से राशि वसूली योग्य होगी।

(14) बिक्री कर एवं रायल्टी मद में कटौती कर सरकारी कोष में जमा नहीं किया जाना रू० 14,159.00 कोषागार में जमा करने का सुझाव :-

वरहवाँ वित्त आयोग से संबंधित योजना अभिलेखों योजना पंजी तथा सहायक रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि योजना सं० - 1/2009-10 घरहरा प्रखंड परिसर में गोदाम मरम्माति कार्य प्राक्कलित राशि रू० 422300.00 अभिकर्ता मो० सेराज अहमद, कनीय अभियंता द्वारा योजना रू० 421659.00 में पूर्ण किया गया। मो० सेराज अहमद को भुगतान की गयी अग्रिम की राशि रू० 257500.00 का समायोजन के उपरांत अंतिम भुगतान हेतु रू० 164159.00 का अभिश्रव पारित किया गया। जिसमें से बिक्री कर मद में रू० 11270.00 तथा राँयल्टी मद

में रु0 2889.00 की कटौती करने का आदेश था। जिसके आलोक में मो0 सेराज अहमद को, वैट मद की राशि रु0 11270.00 तथा रायल्टी मद की राशि रु0 2889.00 की कटौती के बाद शेष राशि रु0 150000.00 का भुगतान दिनांक 09.02.11 को किया गया। परन्तु वैट तथा रायल्टी मद कटौती की गयी कुल राशि रु0 14159.00 को सहायक रोकड़ पंजी बारहवाँ वित्त आयोग तथा विक्रीकर एवं रायल्टी में दर्ज नहीं कर अभिलेख में ही छोड़ दिया गया। फलस्वरूप विक्रीकर तथा राजस्व मद में कटौती तो की गई थी, परन्तु लेखा का संधारण नहीं किया गया था तथा योजनाभिलेख में ही छोड़ दिया गया। फलस्वरूप इस कटौती पर कार्यालय का नियंत्रण नहीं रहा। वह राशि प्रखंड कार्यालय के खाता में ही पड़ी रह गई। परन्तु कोषागार में जमा नहीं की गई थी। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कटौती की राशि को संबंधित शीर्ष में जमा करने की बात बदलाई गई।

अतः विक्री कर मद में रु0 11270.00 तथा रायल्टी मद में रु0 2889.00 कुल रु0 14159.00 को कटौती की गई राशि को लेखा का संधारण कर कोषागार में जमा कर दिया जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

(15) अंकेक्षित अवधि में अनाधिकृत रूप से विचलन कर अप्रविष्ट अभिश्रवों के रूप में रु0 14,34,084.00 की वृद्धि नियमित / समायोजन करने का सुझाव :-

अप्रविष्ट अभिश्रव पंजी वर्ष - 2010-11 से 2011-12 की जाँच एवं सत्यापन तथा सामान्य रोकड़ पंजी के अवलोकन में पाया गया कि अप्रविष्ट अभिश्रवों के रूप में वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक में कुल रु0 1437084.00 की अनाधिकृत वृद्धि पायी गयी।

विवरण निम्नवत है :-

01.04.2010 का प्रारम्भण शेष रू० —	2311065.14
31.03.2011 का संवरण शेष रू० —	3053199.14
31.03.2012 का संवरण शेष रू० —	3748149.14

उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि दिनांक 01.04.2010 को अप्रविष्ट अभिश्रव की कुल रू० 2311065.14 था जो दिनांक — 31.03.2012 को बढ़कर रू० 3748149.14 हो गया। स्पष्ट है कि कुल रू० 1437084.00 (3748149.14 — 2311065.14) की वृद्धि हुई। ज्ञातव्य हो कि कुल रू० 1437084.00 अप्रविष्ट अभिश्रवों में वृद्धि आवंटित मदों में प्राप्त राशि का विचलन तथा विभिन्न वर्षों में बचत और अवशेष राशि को कोषागार में जमा न कर अनाधिकृत रूप से व्यय किया जाना है। जो बिहार बजट हस्तक के नियम — 107,108,109 एवं 111 तथा 299 एवं 487 तथा विहार वित्तीय नियमावली भाग— 1 के नियम 8 एवं 11 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि “ अति आवश्यक पड़ने पर विचलन कर राशि व्यय किया गया था। जो अप्रविष्ट अभिश्रव के रूप में है। सरकार से आवंटन प्राप्त कर अप्रविष्ट अभिश्रव राशि का समायोजन कर विचलित राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान दोषी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए विचलन कर किये व्यय रू0 1437084 हेतु आवंटन प्राप्त कर नियमित किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(16) अस्थायी अग्रिम की राशि रू0 18,500.00 असमायोजित :-

लेखा वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक के अस्थायी अग्रिम पंजी की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि अंकेक्षणावधि में कुछ कर्मचारियों को अस्थायी अग्रिम का भुगतान किया गया था। जिसका समायोजन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया।

विवरण निम्न है :-

क्र0	अग्रिम	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	प्रयोजन	भुगतान तिथि	राशि
स0	पंजी पृ0	स0			
1.	107	श्री रामविलास सिंह, जी0 पी0 एस0 घरहरा	चुनाव यात्रा अग्रिम	23.03.11	7500.00
			चुनाव यात्रा अग्रिम	05.04.11	5000.00

2.	108	श्री सरयुग रविदास, प्र० कृषि पदा०	मतपत्र लाने कलकत्ता जाने हेतु	05.04.11	5000.00
3.	113	श्री भरत कुमार वर्णबाल, सहायक	हलसी प्रखंड जाने हेतु।	17.01.12	1000.00
				कुल रू०	18500.00

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में असमायोजित अग्रिम की राशि संबंधित व्यक्तियों से वसूल कर ली जायेगी, का उल्लेख किया गया है।

अतः अंकक्षित अवधि में दी गयी अग्रिम की राशि रू० 18500.00 यथाशीघ्र समायोजित / वसूल कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय तथा दिनांक 31.03.12 तक असमायोजित अग्रिम की राशि रू० 946101.60 (946101.60 – 18500.00) में से अंकेक्षण तिथि तक रू० 230755.00 के समायोजन के उपरान्त असमायोजित राशि रू० 715346.60 का समायोजन / वसूली भी की जाय। पूर्ण विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ट" पर अंकित है।

- (17) रू0 9517.00 सामान्य इंदिरा आवास योजना के प्रचार प्रसार के नाम पर
संदेहात्मक व्यय राशि आपत्ति अंतर्गत —

सामान्य इंदिरा आवास योजना के आकस्मिकता मद से संबंधित वर्ष -2011-12 के अभिश्रवों की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि विश्वनाथ साह, जीप चालक को इंदिरा आवास योजना से संबंधित आयोजित शिविर दिनांक 14.07.11 से 19.07.11 तक के प्रचार प्रसार हेतु रू0 340.00 प्रतिदिन के दर से 6 दिनों का रू0 2040.00 तथा जीप सं0 बी0 आर0 20 पी0 441 के परिचालन हेतु उक्त अवधि के लिए 170 लीटर डीजल के मूल्य रू0 43.98 प्रति ली0 को दर से रू0 7477.00 कुल रू0 9417.00 (2040.00 + 7477.00) का भुगतान दिनांक 29.09.11 को किया गया। इंदिरा आवास योजना से संबंधित आयोजित शिविर के प्रचार प्रसार हेतु सामग्री (लाउडस्पीकर, माईक, बैटरी आदि) की व्यवस्था दिनांक 20.07.11 से 03.08.11 तक था। इस प्रकार विश्वनाथ साह को, दिनांक - 14.07.11 से 19.07.11 तक के शिविर के प्रचार प्रसार हेतु सामग्री जैसे - लाउडस्पीकर, माईक, बैटरी आदि उपलब्ध नहीं करायी गयी थी तथा इससे संबंधित अभिलेख अंकक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रचार सामग्री के जीप के परिचालन का औचित्य ही नहीं रहा। प्रचार प्रसार सामग्री के बिना जीप का भाड़ा एवं परिचालन मद में किया गया व्यय संदेहात्मक प्रतीत होता है। क्योंकि प्रचार सामग्री के बिना प्रचार नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि आपूर्तिकर्ता -- मोनिका टेंट हाउस, जमालपुर से पृच्छा करने पर बतलाया गया कि दिनांक - 14.07.

11 से 19.7.11 तक प्रचार प्रसार सामग्री हेतु सामग्री लाउडस्पीकर, बैटरी, माईक, अन्य सामग्री दिया गया था। जिसका विपत्र कार्यालय को समर्पित नहीं किया जा सका। अतः आपूर्तिकर्ता द्वारा विपत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। अनुपालन संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः प्रशासी विभाग के उच्चपदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच कर ली जाय कि वास्तव में दिनांक 14.07.11 से 19.07.11 तक प्रचार प्रसार हेतु प्रचार सामग्री विश्वनाथ साह, जीप चालक को उपलब्ध करायी गयी थी अथवा नहीं। प्रचार सामग्री उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में जीप के भाड़ा तथा उसके परिचालन पर डिजल का मूल्य कुल रू0 9517 संबंधित व्यक्ति से वसूली की जा सकती है तब तक रू0 9517.00 के संदेहात्मक व्यय को आपत्ति अंतर्गत रखा जाता है।

18. रू0 6770551.47 अव्यवहृत राशि पड़ा रहना आपत्ति जनक –

विभिन्न सहायक रोकड़ पंजियों एवं सामान्य रोकड़ पंजी वर्ष 2010-11 से 11-12 के अवलोकन में पाया गया कि विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत दिनांक – 31.03.12 को अव्यवहृत राशि कुल रू0 6770551.47 पड़ी हुई थी जो कई वर्ष पूर्व से चली आ रही थी तथा अंकेक्षण तिथि तक पड़ी हुई थी। बिहार कोषागार संहिता – 2011 के नियम 176 एवं 177 तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 8563 दिनांक – 31.12.01 के अनुसार अव्यवहृत राशि को नगद अथवा बैंक में रखना अनियमित एवं बर्जित है। इससे राज्य के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। व्यय की प्रत्याशा में आवंटन के लैप्स होने से बचने के लिए कोषागार से राशि निकालकर अनाधिकृत रूप से बैंक / नगद

में रखना वित्तीय अनियमितता है। अव्यवहृत राशि रू0 6770551.47 की पूर्ण विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "अ" पर द्रष्टव्य है। साथ ही विभिन्न सहायक सहायक रोकड़ पंजियों से ज्ञात हुआ कि बहुत दिनों से कोई लेन देन भी नहीं हुआ है जो अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "च" एवं "घ" के अवलोकन से स्पष्ट होता है।

इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में उल्लेख किया गया है कि अव्यवहृत राशि रू0 6770551.47 संबंधित शीर्ष के सरकारी कोष में जमा कर दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि अव्यवहृत पड़ी राशि रू0 6770551.47 को कोषागार में जमा कराया जाय तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय एवं भविष्य में बिना तत्कालिक व्यय के अनावश्यक राशि की निकासी कोषागार से नहीं की जाय।

19. सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की विवरणी में **less in bank** के नाम पर

रू0 116082.49 दर्शाया जाना आपत्तिजनक :-

दिनांक - 31.03.10 (01.04.10 का प्रारंभण शेष) 31.03.11 एवं 31.03.12 तथा अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 28.11.13 का प्रारंभण शेष (27.11.13 का संवरण शेष) को सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि less in bank के नाम पर रू0 116082.49 दर्शाया गया था जो अंकेक्षणावधि के पूर्व से दर्शाया जा रहा है। अंकेक्षण के क्रम में बैंक समाधान विवरणी की जाँच में किसी भी बैंक में less in bank की राशि नहीं पायी गयी। अंकेक्षण को प्रतीत होता है कि

less in bank काल्पनिक नाम दर्शाकर रू0 116082.49 सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की विवरणी में दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में रू0 116082.49 की गबन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि तत्कालीन नाजीर श्री भोला भगत से पत्राचार किया गया स्थिति स्पष्ट होने पर सूचना दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि प्रशासी विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा संवरण शेष की विवरणी में less in bank के नाम पर दर्शायी गयी राशि रू0 116082.49 की जाँच करा ली जाय तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

भाग - 3 सुझावात्मक

20. इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को भुगतान योग्य राशि से रू0 75000.00 का अधिक राशि का चेक बैंक को प्रेषित, राशि अंकेक्षण के दृष्टांत पर वसूली एवं बैंक में जमा।

इंदिरा आवास निर्माण योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) से संबंधित वर्ष 2010-11 से 2011-12 के बैंक एडवाइस की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि शाखा प्रबंधक बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर को तीन भिन्न - 2 बैंक एडवाइस में लाभार्थियों की सूची में अंकित नाम से क्रमांकन में भूल के कारण तीन अधिक संख्या दर्शाकर प्रथम एवं द्वितीय किस्त की कुल राशि रू0 75000.00 अधिक का चेक यूकों बैंक धरहरा खाता सं0 12295 का भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था।

(i) बैंक एडवाइस के ज्ञाप सं0 - 35 दिनांक - 31.05.10 में इंदिरा आवास निर्माण के प्रथम किस्त रू0 30000.00 के भुगतान हेतु, क्रमांकन में भूल के कारण 74 लाभुकों के जगह 75 लाभुकों के भुगतान हेतु (75×30000.00) रू0 2250000.00 का चेक सं0 - 105226 प्रेषित किया गया। जिसमें रू0 30000.00 भुगतान योग्य राशि से अधिक की राशि थी।

(ii) प्रथम किस्त के रू0 30000.00 के भुगतान हेतु बैंक एडवाइस ज्ञाप सं0 278 दिनांक - 24.03.11 में भी क्रमांकन में भूल के कारण 74 लाभुकों के जगह 75 लाभुकों के भुगतान हेतु (75×30000.00) रू0 2250000.00 का चेक सं0 - 549954 प्रेषित किया गया। जिसमें रू0 30000.00 भुगतान योग्य राशि से अधिक की राशि थी।

(iii) इंदिरा आवास योजना के द्वितीय किस्त की राशि रू0 15000.00 भुगतान हेतु बैंक एडवाइस ज्ञाप सं0 557 दिनांक - 17.05.11 में क्रमांकन में मूल के कारण 24 लाभुको के जगह 25 लाभुकों के भुगतान हेतु (25 × 75000.00) रू0 375000.00 का चेक सं0 - 549964 प्रेषित किया गया। जिसमें रू0 15000.00 अधिक था। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तीनों बैंक एडवाइस में भुगतान योग्य राशि से अधिक कुल रू0 75000.00 (30000 + 30000 + 15000) का चेक बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर को दिया गया था जिसे रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में प्रविष्टि की गयी थी। जो बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर से वसूलनीय थी। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बलताया गया कि बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर से पत्राचार करने पर बी0 डी0 ओ0 घरहरा के पदनाम से रू0 75000.00 का आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 बैंक का ड्राफ्ट सं0 933092 दिनांक 29.08.14 जो मुंगेर शाखा में देय है, प्राप्त हुआ जिसे यूको बैंक घरहरा के खाता सं0 12295 के बैंक पंजी एवं इंदिरा आवास योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) के सहायक रोकड़ पंजी के आय पक्ष में दिनांक 13.09.14 को प्रविष्टि कर बैंक ड्राफ्ट को यूको बैंक, घरहरा के खाता सं0 12295 में जमा कर दिया गया।

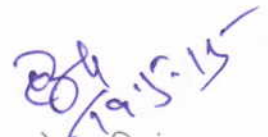
उपर्युक्त अनुपालन का सत्यापन किया गया तथा यूको बैंक, घरहरा के खाता सं0 12295 के पासबुक में दिनांक 22.9.14 को 75000.00 जमा दर्शाया पाया गया।

21. रू0 1234000/- अंकेक्षण के दृष्टान्त पर आय पक्ष में प्रविष्टि कर बैंक में जमा—

अंकेक्षण के क्रम में कैनरा बैंक, बंगलवाँ के खाता सं0 - 4166 से संबंधित बैंक समाधान विवरणी की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि बैंक के द्वारा विभिन्न तिथियों को

भिन्न - 2 राशि कुल रू0 1234000.00 जमा दर्शायी गयी थी जिसे प्रखंड विकास कार्यालय द्वारा संधारित बैंक पंजी में जमा नहीं दर्शाया गया था। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि कैनरा बैंक, वंगलावाँ द्वारा प्रखंड विकास कार्यालय घरहरा के विभिन्न पत्राकों के आलोक में इंदिरा आवासयोजना (आपकी सरकार आपके द्वार) के अयोग्य लाभार्थियों को भुगतीत राशि उनके खाते से हस्तारित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के खाता सं0 में विभिन्न तिथियों को भिन्न- 2 राशि कुल रू0 1234000.00 जमा दर्शाया गया। जिसके आलोक में कैनरा बैंक, बंगलवाँ के खाता सं0 4166 से संबंधित बैंक पंजी तथा इंदिरा आवास योजना (आपकी सरकार आपके द्वार) के सहायक रोकड़ पंजी के आय पक्ष में दिनांक - 15. 02.14 को प्रविष्टी कर बैंक में जमा दर्शा दिया गया है।

अनुपालित तथ्यों का सत्यापन संगत अभिलेखों से कर लिया गया। इस प्रकार रू0 1234000.00 अंकेक्षण के दृष्टांत पर आय पक्ष में प्रविष्टी कर बैंक में जमा दर्शाया गया।


 उप लेखा नियंत्रक
 वित्त (अंकेक्षण) विभाग
 बिहार, पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम एवं पदनाम

अशोक कुमार राकेश, व0 अं0 - 2

परिशिष्ट - 'क' कंडिका-1 (ट) से संबंधित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची -

प्रस्तुत अभिलेख

1. विपत्र पंजी
2. सामान्य रोकड़ पुस्त
3. सभी सहायक रोकड़ पुस्त
4. नाजीर रसीद
5. नाजीर रसीद का भंडार पंजी
6. कोषागार का जमा चालान
7. सभी बैंक पंजी तथा बैंक पासबुक
8. शीर्ष 2515 क पंचायत वेतन भुगतान पंजी
9. शीर्ष 2515 ख सामुदायिक विकास वेतन भुगतान पंजी
10. शीर्ष 2053 जिला प्रशासन वेतन भुगतान पंजी
11. शीर्ष 2505 रा0 गा0 रो0 योजना वेतन भुगतान पंजी
12. शीर्ष 2235 समाजिक सुरक्षा वेतन भुगतान पंजी
13. अस्थायी अग्रिम पंजी
14. अप्रविष्ट आभिश्रव एवं अभिश्रव पंजी
15. आवंटन व्यय पंजी
16. आवंटन पत्र (आंशिक)
17. प्रत्यार्पण पत्र (आंशिक)
18. योजना अभिलेख
19. वी0 पी0 एल0 सूची एवं सर्वेक्षण सूची (आंशिक)

20. अभिश्रव संचिका
21. योजना अभिलेख
22. भंडार पंजी
23. वाहन लॉगबुक दिनांक 1.4.10 से 19.11.10 छोड़कर
24. बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना अभिलेख (आंशिक)
25. छात्रवृत्ति भुगतान पंजी
26. छात्रवृत्ति उप आवंटन पत्र
27. शीर्ष 3454 जगगणना मानदेय भुगतान पंजी
28. शीर्ष 2015 निर्वाचन यात्रा भत्ता भुगतान पंजी
29. शीर्ष 2015 कार्यालय व्यय अभिश्रव आंशिक
30. पशुपालन पदा0 का मानदेय भुगतान पंजी
31. ग्राम कचहरी सदस्यों का भत्ता भुगतान पंजी
32. उपस्थिति पंजी

अप्रस्तुत अभिलेख

1. सेवा पुस्त
2. वाहन लॉगबुक (दिनांक -01.04.10 से 19.11.10 तक)
3. शीर्ष 2015 निर्वाचन कार्यालय व्यय अभिश्रव (आंशिक)
4. बी0 आर0 जी0 एफ0 योजना अभिलेख (आंशिक)
5. बी0 पी0 एल0 सूची एवं सर्वेक्षण सूची (आंशिक)
6. पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन
7. आवास आवंटन संचिका
8. योजना अभिलेख योजना सं0 - 01/07-08 आधार भूत संरचना मद से भंडार सह विक्री केन्द्र निर्माण।

परिशिष्ट "ख" कंडिका 3 (i) से संबंधित
आवंटन एवं व्यय विवरणी (वित्तीय वर्ष - 2011-12) :-

क्र० सं०	शीर्ष	भेद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2515 / 101 पंचायत अन्य ग्रामीण विकास	वेतन एवं जीवन यापन भत्ता	10,92,253.00	10,09,884.00	0.00	82,369.00	बचत राशि ज्ञापांक 433 दिनांक 31.03.11 द्वारा प्रत्यापित।
2	2515 / 102 सामुदायिक विकास अन्य ग्रामीण विकास	वेतन एवं जीवन यापन भत्ता	26,83,033.00	25,86,301.00	0.00	96,732.00	बचत राशि ज्ञापांक 431 दिनांक 31.03.11 द्वारा प्रत्यापित।
		यात्रा भत्ता	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	बचत राशि ज्ञापांक 431 दिनांक 31.03.11 द्वारा प्रत्यापित।
		कार्यालय व्यय	57,000.00	11,167.00	0.00	45,833.00	बचत राशि ज्ञापांक 431 दिनांक 31.03.11 द्वारा प्रत्यापित।
		वाहन / इंधन रख रखाव	60,000.00	11,262.00	0.00	48,738.00	बचत राशि ज्ञापांक 431 दिनांक 31.03.11 द्वारा प्रत्यापित।
		दुरभाष	9,000.00	8,933.00	0.00	67.00	बचत राशि ज्ञापांक 431 दिनांक 31.03.11 द्वारा प्रत्यापित।
		विधुत	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		बर्दी	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	

		प्रखंड पशुपालन पदा० का मानदेय	3,46,500.00	2,25,000.00	0.00	1,21,500.00	बचत राशि ज्ञापांक 434 दिनांक 31.03.11 द्वारा प्रत्यापित।
3	2053 जिला प्रशारण	वेतन एवं जीवन यापन भत्ता	5,11,400.00	4,73,129.00	0.00	38,271.00	प्रत्यार्पण पत्र अप्रस्तुत बचत राशि के प्रत्यापित की स्थिति अस्पष्ट।
4	2505 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	वेतन एवं जीवन यापन भत्ता	1,00,000.00	93,608.00	0.00	6,392.00	प्रत्यार्पण पत्र अप्रस्तुत बचत राशि के प्रत्यापित की स्थिति अस्पष्ट।
5	2235 सामाजिक सुरक्षा	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	10,00,000.00	10,00,000.00	0.00	0.00	
		कबीर अन्त्येष्टि	3,90,000.00	3,90,000.00	0.00	0.00	
		विकलांग छात्रवृत्ति	1,00,000.00	99,875.00	0.00	125.00	बचत राशि ज्ञापांक 430 दिनांक 31.3.11 द्वारा प्रत्यापित।
6	2015 विधान सभा निर्वाचन	यात्रा भत्ता	4,76,850.00	4,76,850.00	0.00	0.00	
		कार्यालय व्यय	2,59,000.00	2,59,000.00		0.00	
		निर्वाचक नामावली तैयार करना एवं मुद्रण	70,000.00	69,998.00	0.00	2.00	बचत राशि ज्ञापांक 439 दिनांक 31.3.11 द्वारा प्रत्यापित।
7	2225 पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	
		प्रा० एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति	1,23,200.00	1,23,120.00	0.00	80.00	बचत राशि ज्ञापांक 439 दिनांक 31.3.11 द्वारा प्रत्यापित।

		उच्च विद्यालय प्री० मैट्रिक छात्रवृत्ति	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	
		प्र० एवं मध्य विद्यालय प्री० मैट्रिक छात्रवृत्ति	20,640.00	26,460.00	0.00	180.00	वस्तु राशि जापांक 439 दिनांक 31.3.11 द्वारा प्रत्यापित।
8	2055 पुलिस व्यय विधि व्यवस्था संधारण	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विधि व्यवस्था संधारण - अर्द्ध सैनिक बल के आवासन कार्यालय व्यय	3,82,337.00	1,56,098.00	0.00	2,26,239.00	वस्तु राशि जापांक 432 दिनांक 31.3.11 द्वारा प्रत्यापित।
		वाहन / इंधन रख रखाव	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
			1,00,000.00	1,00,000.00	0.00	0.00	
9	2401 कृषि	धान बीज / सिंचाई	24,29,453.00	24,29,453.00	0.00	0.00	

आवंटन एवं व्यय विवरणी (वित्तीय वर्ष - 2011-12)							
लेखा वर्ष - 2011-12 :-							
क्र० सं०	शीर्ष	भेद	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2515 / 101 पंचायत अन्य ग्रामीण विकास	वेतन एवं जीवन यापन भत्ता	31,23,024.00	20,30,651.00	0.00	10,92,373.00	प्रत्यापण पत्र अप्रस्तुत बचत राशि के प्रत्यापण की स्थिति अस्पष्ट।
		ग्राम कचहरी के सदस्यों का भत्ता भुगतान	6,33,837.00	6,33,837.00	0.00	0.00	
		ग्राम कचहरी के सदस्यों का भत्ता भुगतान (विशेष घटक)	34,692.00	34,692.00	0.00	0.00	
2	2515 / 102 सामुदायिक विकास अन्य ग्रामीण विकास	वेतन एवं जीवन यापन भत्ता	40,90,777.00	29,04,763.00	0.00	11,86,014.00	बचत राशि ज्ञापांक 493 दिनांक 31.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
		वाहन / इंधन रख रखाव	85,698.00	85,645.00	0.00	53.00	बचत राशि ज्ञापांक 493 दिनांक 31.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
		कार्यालय व्यय	94,002.00	93,968.00	0.00	34.00	बचत राशि ज्ञापांक 493 दिनांक 31.03.12 द्वारा प्रत्यापित।

		दुग्गाष	15,286.00	8,906.00	0.00	6,380.00	वचत राशि पत्रांक 493 दिनांक 31.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
		यात्रा भत्ता	35,373.00	0.00	0.00	35,373.00	वचत राशि पत्रांक 493 दिनांक 31.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
		बर्दी	8,399.00	8,399.00	0.00	0.00	
		विधुत	7,022.00	7,022.00	0.00	0.00	
		प्रखंड पशुपालन पदा० का मानदेय	2,70,000.00	2,25,000.00	0.00	45,000.00	प्रत्यार्पण पत्र अप्रस्तुत वचत राशि के प्रत्यार्पण की स्थिति अस्पष्ट।
3	2053 जिला प्रशासन	वेतन एवं जीवन यापन भत्ता	6,02,100.00	3,35,066.00	0.00	2,67,034.00	वचत राशि पत्रांक 470 दिनांक 19.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
4	2053 बीस सूत्री कार्यक्रम	दैनिक भत्ता	1,912.00	1,600.00	0.00	312.00	वचत राशि पत्रांक 470 दिनांक 27.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
		यात्रा भत्ता	936.00	400.00	0.00	536.00	वचत राशि पत्रांक 470 दिनांक 27.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
		कार्यालय व्यय	1,751.00	1,730.00	0.00	21.00	वचत राशि पत्रांक 470 दिनांक 27.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
		वाहन / इंधन रख रखाव	3,539.00	0.00	0.00	3,539.00	वचत राशि पत्रांक 470 दिनांक 27.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
5	2505 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	वेतन एवं जीवन यापन भत्ता	3,45,000.00	3,25,069.00	0.00	19,931.00	प्रत्यार्पण पत्र अप्रस्तुत वचत राशि के प्रत्यार्पण की स्थिति अस्पष्ट।

6	3456 सिविल आपूर्ति	कार्यालय व्यय	1,50,000.00	1,49,834.00	0.00	166.00	बचत राशि ज्ञापांक 483 दिनांक 30.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
7	2235 समाजिक सुरक्षा	वेतन एवं जीवन यापन भत्ता	2,71,383.00	2,71,383.00	0.00	0.00	
		कबीर अंत्येष्टी	1,95,000.00	1,95,000.00	0.00	0.00	
		कबीर अंत्येष्टी अनु० जा० विशेष घटक	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	
		विकलांग छात्रवृत्ति	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
		विकलांग छात्रवृत्ति अनु० जा० विशेष घटक	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	
		बिहार राज्य विकलांग सा० सु० कार्यालय व्यय	2,000.00	1,999.00	0.00	1.00	बचत राशि ज्ञापांक 385 दिनांक 13.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
		वृद्धावस्था पेंशन का कार्यालय व्यय	1,000.00	990.00	0.00	10.00	बचत राशि ज्ञापांक 385 दिनांक 13.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
		वृद्धावस्था पेंशन का कार्यालय व्यय (विशेष घटक)	1,000.00	994.00	0.00	6.00	बचत राशि ज्ञापांक 385 दिनांक 13.03.12 द्वारा प्रत्यापित।
8	2015 पंचायत निर्वाचन	यात्रा भत्ता	8,20,835.00	8,20,835.00	0.00	0.00	
		कार्यालय व्यय	4,29,000.00	4,14,244.00	0.00	14,756.00	बचत राशि ज्ञापांक 487 दिनांक 31.3.12 द्वारा प्रत्यापित।

9	2225 ଅମ୍ବୁ ଜାତି / ଜନ ଜାତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଞ୍ଜରା ବର୍ଗ ଭାବପୁର	ଗ୍ରାମ ପଂ ମୁହାନ୍ତ ଜାତି ଭାବପୁର	ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁହାନ୍ତ ଜାତି ଭାବପୁର	ଗ୍ରାମ ପଂ ମୁହାନ୍ତ ଭାବପୁର	ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁହାନ୍ତ ଭାବପୁର	1,333.00	3,722.00	1,333.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	333.00	222.00	333.00	485 ଶାନ୍ତି ଗ୍ରାମପଂକ 485 ବିନାକ 13.3.12 ଟାଏ ମୁକାଦିନୀ	485 ଶାନ୍ତି ଗ୍ରାମପଂକ 485 ବିନାକ 13.3.12 ଟାଏ ମୁକାଦିନୀ	485 ଶାନ୍ତି ଗ୍ରାମପଂକ 485 ବିନାକ 13.3.12 ଟାଏ ମୁକାଦିନୀ	485 ଶାନ୍ତି ଗ୍ରାମପଂକ 485 ବିନାକ 13.3.12 ଟାଏ ମୁକାଦିନୀ

परिशिष्ट "ग" कडिका 3 ii से संबंधित
आय एवं व्यय विवरणी (वित्तीय वर्ष - 2011-12) :-

क्र० सं०	शीर्ष	प्रारम्भण शेष	आय		कुल	व्यय	संवर्णन शेष	अभ्युक्ति
			चेक से	विपन्न से				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3454 जनगणना	27,879.00	12,00,400.00	0.00	12,28,279.00	11,59,900.00	68,379.00	
2	ननभाड़ा	5,12,249.90	0.00	0.00	5,12,249.90	1,40,000.00	3,72,249.90	
3	एकादश द्वादश एवं तेरहवाँ वित्त आयोग	4,62,391.00	3,30,124.00	0.00	7,92,515.00	1,50,000.00	6,42,515.00	
4	हरियाली योजना	3,99,130.00	0.00	0.00	3,99,130.00	3,99,130.00	0.00	
5	सामान्य नव निर्माण इंदिरा आवास	1,29,13,488.00	2,02,76,700.00	0.00	3,31,90,188.00	1,16,27,000.00	2,15,63,188.00	
6	इंदिरा आवास (आपकी सरकार आपके द्वारे)	5,50,52,000.00	14,32,20,000.00	0.00	19,82,72,000.00	9,30,13,000.00	10,52,59,000.00	
7	पिछड़ा प्रक्षेत्र अनुदान कोष	34,82,000.00	18,36,190.00	0.00	53,18,190.00	19,60,690.00	33,57,500.00	
8	पारिवारिक लाभ	1,25,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00	12,25,000.00	6,90,000.00	5,35,000.00	
9	विविध	27,31,063.85	19,34,286.00	28,19,453.00	74,84,802.85	9,65,321.00	65,19,481.85	
10	2235 कल्याण छात्रवृत्ति	8,37,126.00	17,66,911.00	3,51,095.00	29,55,132.00	17,85,606.00	11,69,526.00	

आवृत्त एतं व्यय विवरणी
लेखा वर्ष - 2011-12 :-

क्र० सं०	शीर्ष	प्रारम्भण शेष	आय		कुल	व्यय	संवर्णण शेष	अभ्युक्ति
			चेक से	विपत्र से				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3454 जगमणना	68,379.00	10,000.00	0.00	78,379.00	33,346.00	45,033.00	
2	पारिवारिक लाभ	5,35,000.00	3,40,000.00	0.00	8,75,000.00	5,30,000.00	3,45,000.00	
3	स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना	11,57,494.00	0.00	0.00	11,57,494.00	10,60,489.00	97,005.00	
4	जवाहर रोजगार योजना सधन	95,998.11	0.00	0.00	95,998.11	95,998.00	0.11	
5	दशम वित्त आयोग	3,10,096.13	0.00	0.00	3,10,096.13	67,500.00	2,42,596.13	
6	एकादश द्वादश एवं तेरहवाँ वित्त आयोग	6,42,515.00	1,94,301.00	0.00	8,36,816.00	3,25,000.00	5,11,816.00	
7	सांसद योजना	1,95,907.00	1,80,000.00	0.00	3,75,907.00	0.00	3,75,907.00	
8	विधायक योजना	7,62,951.00	3,00,000.00	0.00	10,62,951.00	3,00,000.00	7,62,951.00	
9	सामान्य नवनिर्माण इंदिरा आवास	2,15,63,188.00	2,88,23,745.00	0.00	5,03,86,933.00	2,39,30,520.00	2,64,56,413.00	
10	इंदिरा आवास (आपके द्वार)	10,52,59,000.00	1,06,45,000.00	0.00	11,59,04,000.00	6,29,60,000.00	5,29,44,000.00	

11	प्रधान मंत्री नवनिर्माण इंदिरा आवास	6,36,205.00	0.00	0.00	6,36,205.00	6,36,205.00	0.00
12	अपग्रेडेशन इंदिरा आवास	30,46,049.00	0.00	0.00	30,46,049.00	30,46,049.00	0.00
13	प्रधान मंत्री अपग्रेडेशन इंदिरा आवास	4,61,560.00	0.00	0.00	4,61,560.00	4,61,560.00	0.00
14	पिछड़ा प्रक्षेत्र अनुदान कोष	33,57,500.00	30,12,000.00	0.00	63,69,500.00	11,34,561.00	52,34,939.00
15	विविध	65,19,481.85	3,83,834.00	10,45,001.00	79,48,316.85	21,82,935.00	57,65,381.85
16	2235 कल्याण छात्रवृत्ति	11,69,526.00	57,44,940.00	1,04,500.00	70,18,966.00	56,38,840.00	13,80,126.00
17	रोजगार गारंटी योजना	1,09,747.00	52,370.00	0.00	1,62,117.00	1,09,747.00	52,370.00

परिशिष्ट "घ" कड़िका 3 iii से संबंधित

दिनांक 10.06.13 को बैंक पासबुक में बैंक पंजी से अधिक दर्शायी गयी राशि एवं उनके कारणों तथा अकक्षण अवधि में बैंक पंजी में प्रविष्टि के उपरान्त अधिक अवशेष राशि की विवरणी :-

क्र० सं०	बैंक का नाम एवं शाखा खाता सं०	बैंक पंजी की राशि	बैंक पासबुक की राशि	बैंक पासबुक में दर्शायी गयी अधिक राशि	अधिक दर्शाये जाने का कारण एवं राशि	अकक्षण अवधि में बैंक पंजी में प्रविष्टि की राशि	अधिक राशि का अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कैनरा बैंक, बंगलवाँ खाता सं० 4166	5,88,667.00	18,22,667.00	12,34,000.00	बैंक द्वारा जमा दर्शाया गया परन्तु बैंक पंजी में जमा नहीं दर्शाया गया 12,34,000.00	12,34,000.00	0.00	
2	यूको बैंक, धरहरा खाता सं० 12295	31,29,291.50	33,74,411.50	2,45,120.00	बैंक द्वारा जमा दर्शाया गया परन्तु बैंक पंजी में जमा नहीं दर्शाया गया 1,94,000.00	1,94,000.00	0.00	

					पूर्व में पासबुक में अधिक दर्शायी गयी राशि 51,120.00	51,120.00	51,120.00	
					2,45,120.00	2,45,120.00		
3	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जमालपुर खाता सं0 - 901	6,62,297.34	8,17,297.34	1,55,000.00	बैंक द्वारा जमा दर्शाया गया परन्तु बैंक पंजी में जमा नहीं दर्शाया गया 1,50,000.00	1,50,000.00 बैंक द्वारा दिनांक 14.9.13 को भुगतान दर्शाया गया।	0.00	
					निर्गत चेक को बैंक द्वारा भुगतान नहीं दर्शाया गया 5,000.00	5,000.00	0.00	
						1,55,000.00		
4	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हेमजापुर, खाता सं0 -18	22,13,700.00	22,37,700.00	24,000.00	बैंक द्वारा जमा दर्शाया गया परन्तु बैंक पंजी में जमा नहीं दर्शाया गया 24,000.00	24,000.00	0.00	

5	इलाहाबाद बैंक सिंधिया खाता सं० 8174	3,66,584.00	3,96,584.00	30,000.00	बैंक द्वारा जमा दर्शाया गया परन्तु बैंक पंजी में जमा नहीं दर्शाया गया 30,000.00	30,000.00	0.00
6	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर, खाता सं० —11009	31,49,430.70	32,99,430.70	1,50,000.00	बैंक द्वारा जमा दर्शाया गया परन्तु बैंक पंजी में जमा नहीं दर्शाया गया 1,50,000.00	1,50,000.00	0.00
7	इलाहाबाद बैंक घटवारी, खाता सं० 801	7,34,543.00	11,16,543.00	3,82,000.00	बैंक द्वारा जमा दर्शाया गया परन्तु बैंक पंजी में जमा नहीं दर्शाया गया 3,82,000.00	3,82,000.00	0.00
8	पूर्वी बैंक धरहरा, खाता सं० 12297	62,58,188.02	69,61,282.02	7,03,094.00	बैंक में अधिक दर्शाया गयी राशि दिनांक — 14.10.08 4,254.00	0.00	4,254.00

9					योग एवं संतुलन में गलती के कारण बैंक पंजी में अधिक दर्शायी गयी राशि दि० 10.03.10 180.00	180.00	0.00	
					योग एवं संतुलन में गलती के कारण बैंक पंजी में अधिक दर्शायी गयी राशि दि० 28.05.10 4,440.00	4,440.00	0.00	
					निर्गत चेक को बैंक द्वारा भुगतान नहीं दर्शाया गया 4,36,101.00	0.00	4,36,101.00	

				बैंक सूद की राशि बैंक द्वारा जमा दर्शायी गयी परन्तु बैंक पंजी में जमा नहीं दर्शाया गया 2,82,262.00	2,82,262.00	0.00
				बैंक पासबुक में निकासी दर्शायी गयी परन्तु बैंक पंजी में निकासी नहीं दर्शायी गयी 30.07.09 चेक सं0 104923 15,000.00	0.00	15,000.00

					बैंक चार्ज कटौती को बैंक पासबुक में निकासी दर्शायी गयी परन्तु बैंक पंजी में निकासी नहीं दर्शायी गयी 275.00	275.00	0.00
					(4440-4254 -180+ 436101 + 282262 - 15000 - 275 = 703094.00)		

परिशिष्ट "ड" कड़िका 3 iv से संबंधित					
अंकेक्षण प्रारंभण तिथि - 28.11.2013 को सामान्य रोकड़ पंजी का प्रारंभण शेष (दिनांक-27.11.13 का संवरण शेष) राशि रु0 93417937.46 का भौतिक सत्यापन एवं अन्तर (अधिक) राशि की विवरणी :-					
क्र० सं०	बैंक का नाम एवं शाखा	खाता सं०	बैंक पंजी की राशि	बैंक पासबुक की राशि	बैंक पासबुक में दर्शायी गयी अधिक राशि
1	2	3	4	5	6
1	इलाहाबाद बैंक, घटवारी	801	7,34,543.00	11,16,543.00	3,82,000.00
2	इलाहाबाद बैंक, सिधिया	8174	3,66,584.00	4,04,581.00	37,997.00
3	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर,	11009	31,68,132.70	33,33,132.70	1,65,000.00
4	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हेमजापुर	18	22,13,700.00	22,37,700.00	24,000.00
5	केनरा बैंक, बंगलवा	2103	1,12,707.00	1,12,707.00	0.00
6	केनरा बैंक, बंगलवा	2104	3,90,763.80	3,90,763.80	0.00
7	केनरा बैंक, बंगलवा	4166	5,88,667.00	18,58,821.00	12,70,154.00
8	सेन्ट्रल बैंक,	16513	2,91,873.30	2,97,694.50	5,821.20

	जमालपुर				
9	यूको बैंक, धरहरा	9366	83,743.00	83,743.00	0.00
10	यूको बैंक, धरहरा	10975	1,96,190.00	1,96,190.00	0.00
11	यूको बैंक, धरहरा	11006	1,13,410.00	1,13,410.00	0.00
12	यूको बैंक, धरहरा	12264	14,00,141.85	14,00,141.85	0.00
13	यूको बैंक, धरहरा	12294	14,272.00	14,272.00	0.00
14	यूको बैंक, धरहरा	12295	2,00,69,580.50	2,21,79,700.50	21,10,120.00
15	यूको बैंक, धरहरा	12296	10,07,288.00	10,07,288.00	0.00
16	यूको बैंक, धरहरा	12297	16,52,361.02	18,70,450.02	2,18,089.00
17	यूको बैंक, धरहरा	12298	1,08,194.00	1,08,194.00	0.00
18	यूको बैंक, धरहरा	12302	23,754.00	23,754.00	0.00
19	यूको बैंक, धरहरा	12303	22,115.00	22,055.00	-60.00
20	यूको बैंक, धरहरा	12348	8,21,835.00	8,21,835.00	0.00
21	यूको बैंक, धरहरा	14632	23,890.55	23,890.55	0.00
22	यूको बैंक, धरहरा	15204	108,276.00	108,276.00	0.00
23	यूको बैंक, धरहरा	16356	2,558.00	2,558.00	0.00
24	यूको बैंक, धरहरा	18051	72,34,099.00	72,34,099.00	0.00
25	यूको बैंक, धरहरा	91	2,51,12,277.00	2,56,86,277.00	5,74,000.00
26	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दशरथपुर,	12070	1,37,966.00	1,37,966.00	0.00
27	इलाहाबाद बैंक, घटवारी	7252	4,46,902.00	4,46,902.00	0.00

28	स्टेट बैंक, घरहरा	88043	1,53,629.00	20,49,910.00	18,96,281.00
29	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जमालपुर	901	6,76,736.61	8,26,736.64	1,50,000.00
	योग		6,72,76,189.56	7,41,09,591.56	68,33,402.00
	अप्रविष्ट अभिश्रव		36,50,060.14	36,50,060.14	0.00
	अस्थायी अग्रिम		2,22,99,320.60	2,22,99,320.60	0.00
	लूटी गई राशि		7,869.00	7,869.00	0.00
	स्मे पद इदा		1,16,082.29	1,16,082.29	0.00
	एकल ताला नगद		68,415.87	68,415.87	0.00
	कुल योग :-		9,34,17,937.46	100251339.46	68,33,402.00

परिशिष्ट "च" कड़िका 4 से संबंधित सामान्य रोकड़ पंजी का दिनांक 1.4.2010 का प्रारंभण शेष तथा दिनांक-31.03.2011, 31.03.12 के संवरण शेष राशि का शीर्षवार राशि की विवरणी :-					
क्र० सं०	शीर्ष	दिनांक 01.04.2010 का प्रारंभण शेष	दिनांक-31.03.2011, का संवरण शेष	दिनांक- 31.03.12 का संवरण शेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	2515 क पंचायती राज	13,84,198.03	9,32,169.03	14,32,439.03	
2	2515 ख सामुदायिक विकास	1,41,957.46	2,96,708.46	78,730.46	
3	2053 जिला प्रशासन	14,186.00	26,553.00	2,000.00	
4	2505 रा० ग्रा० रोजगार योजना	28,256.00	0.00	85,525.00	
5	2515 लोक सभा निर्वाचन	3,150.00	3,150.00	3,150.00	
6	2515 विधान सभा निर्वाचन	11,160.00	4,11,990.00	5,08,671.00	
7	2515 ग्रा० पंचायत निर्वाचन	29,880.00	5,03,505.00	14,577.00	
8	3454 जनगणना	27,879.00	68,379.00	45,033.00	
9	प्रोत्साहन भत्ता	3,47,084.00	3,47,084.00	3,47,084.00	

10	जवाहर रोजगार योजना सघन	95,998.11	95,998.11	0.11
11	स्वर्ण जयंती ग्रा0 स्वरोजगार योजना	11,57,494.00	11,57,494.00	97,005.00
12	विविध	27,31,063.85	65,19,481.85	57,65,381.85
13	मातृत्व लाभ	190.00	190.00	190.00
14	बालिका समृद्धि	2,88,000.00	2,88,000.00	2,88,000.00
15	2235 कल्याण छात्रवृत्ति	8,37,126.00	11,69,526.00	13,80,126.00
16	ननभाड़ा	5,12,249.90	3,72,249.90	3,72,249.90
17	दशम वित्त आयोग	3,10,096.13	3,10,096.13	2,42,596.13
18	एकादश द्वादश एवं तेरहवाँ (वित्त आयोग)	4,62,391.00	6,42,515.00	5,11,816.00
19	2235 सा0 सु0 (राज्य)	5,64,200.00	5,64,200.00	5,64,200.00
20	2236 सा0 सु0 (केन्द्र)	13,672.37	13,672.37	13,672.37
21	पारिवारिक लाभ	1,25,000.00	5,35,000.00	345,000.00
22	सांसद योजना	1,95,907.00	1,95,907.00	3,75,907.00
23	विधान पार्षद योजना	93,473.72	93,473.72	93,473.72
24	विधायक योजना	7,62,951.00	7,62,951.00	7,62,951.00
25	हरियाली योजना	3,99,130.00	0.00	0.00

26	सामान्य नवनिर्माण इंदिरा आवास	1,29,13,488.00	2,15,63,188.00	2,64,56,413.00	
27	प्रधान मंत्री नवनिर्माण इंदिरा आवास	6,36,205.00	6,36,205.00	0.00	
28	अपग्रेडेशन इंदिरा आवास	30,46,049.00	30,46,049.00	0.00	
29	प्रधान मंत्री अपग्रेडेशन इंदिरा आवास	4,61,560.00	4,61,560.00	0.00	
30	आपकी सरकार आपके द्वार (इंदिरा आवास)	5,50,52,000.00	10,52,59,000.00	5,29,44,000.00	
31	पिछड़ा प्रक्षेत्र अनुदान कोष	34,82,000.00	33,57,500.00	52,34,939.00	
32	रोजगार गारंटी योजना	1,09,747.00	1,09,747.00	52,370.00	
33	रायल्टी विक्री कर	22,041.00	22,041.00	1,15,902.00	
34	ब्याज	40,71,527.25	40,71,527.25	40,71,527.25	
35	पैक्स	7,800.00	7,800.00	7,800.00	
		9,03,39,110.82	15,38,44,910.82	10,22,12,729.82	

परिशिष्ट "छ" कडिका 4 से संबंधित अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 28.11.2013 को सामान्य रोकड़ पंजी के प्रारंभण शेष (दिनांक 27.11.13) का संवरण शेष राशि रु0 93417937.46 का शीर्षवार राशि की विवरणी :-		
क्र० सं०	शीर्ष	राशि
1	2	3
1	2515 क पंचायती राज	8,90,774.03
2	2515 ख सामुदायिक विकास	65,708.46
3	2053 जिला प्रशासन	1,375.00
4	2515 लोक सभा निर्वाचन	3,150.00
5	2515 विधान सभा निर्वाचन	30,636.00
6	2515 ग्रा0 पंचायत निर्वाचन	7,377.00
7	3454 जनगणना	1,38,133.00
8	प्रोत्साहन भत्ता	3,47,084.00

9	जवाहर रोजगार योजना	0.11
10	स्वर्ण जयंती ग्रा0 स्वरोजगार योजना	1,22,925.00
11	विविध	22,04,327.85
12	मातृत्व लाभ	190.00
13	बालिका समृद्धि	2,88,000.00
14	2235 कल्याण छात्रवृत्ति	41,25,726.00
15	ननभाड़ा	3,72,249.90
16	दशम वित्त आयोग	2,42,596.13
17	एकादश द्वादश एवं तेरहवॉ (वित्त आयोग)	55,90,487.00
18	2235 सा0 सु0 (राज्य)	1,05,11,517.00
19	2235 सा0 सु0 (केन्द्र)	13,672.37
20	पारिवारिक लाभ	15,000.00
21	सांसद योजना	3,75,907.00
22	विधान पार्षद योजना	93,473.72
23	विधायक योजना	7,62,951.00

24	सामान्य नवनिर्माण इंदिरा आवास	2,94,38,995.00
25	आपकी सरकार आपके द्वार (इंदिरा आवास)	1,85,61,000.00
26	पिछड़ा प्रक्षेत्र अनुदान कोष (BRGF)	65,29,432.00
27	रोजगार गारंटी योजना	1,01,566.00
28	रायल्टी विक्री कर	52,715.00
29	ब्याज	99,87,541.89
30	पैक्स	7,800.00
31	चतुर्थ वित्त आयोग	25,35,627.00
		9,34,17,937.46

परिशिष्ट "ज" कडिका 5 से संबंधित						
पदाधिकारी / कर्मचारी का स्वीकृति बल / कार्यरत बल रिक्त बल की विवरणी						
क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	2010-11		2011-12	
			कार्यरत बल	रिक्त बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	प्रखंड विकास पदा०	1	1	0	1	0
2	प्रखंड कृषि पदा०	1	1	0	1	0
3	प्रखंड पशुपालन पदा०	1	1	0	1	0
4	प्रखंड सहकारिता पदा०	1	0	1	0	1
5	प्रखंड महिला प्रसार पदा०	1	1	0	0	1
6	प्रखंड सांख्यिकी पदा०	1	0	1	01	0
7	प्रखंड कल्याण पदा०	1	0	1	0	1
8	प्रखंड पंचायत राज पदा०	1	1	0	1	0
9	प्रधान लिपिक	1	1	0	1	0

10	लिपिक	2			2	0	2	0
11	जनसेवक	1			1	0	1	0
12	पंचायत सचिव	13			6	7	6	7
13	सामाजिक सुरक्षा सहायक	1			0	1	1	0
14	उर्दू टंकक	1			1	0	1	0
15	सहायक उर्दू अनुवादक	1			1	0	0	1
16	चालक	1			1	0	1	0
17	चेनमेन	1			1	0	1	0
18	अनुसेवक	4			4	0	4	0

परिशिष्ट "झ" कांडिका 11 से संबंधित										
वैट मद में कम कटौती की गयी राशि की विवरणी कुल 19090.00										
योजना सं० / वर्ष एवं नाम अभिकर्ता का नाम एवं पदनाम	प्राक्कलित राशि कार्यपूर्ण की राशि	वैट कटौती की तिथि	सामग्री का नाम	क्रय का विवरण	राशि	वैट की गयी राशि दर	वैट की कटौती योग्य राशि		वैट मद में कम कटौती राशि	
							राशि	दर		
1/ 2009 - 10 ग्राम पंचायत महगामा के ग्राम खजुरिया में गेनालाल मंडल के घर से मनीलाल घर तक पी० सी० सी० सड़क निर्माण अभिकर्ता -- श्री सरयुग रविदास	2,33,400.00	30-09-2011	ईट	पी० ए० सी० मुंगेर, कैशमेमो न० 350 दिनांक 5.8.11	38,027.00	4%	1,521.00	5%	1,901.00	380.00
			सिमेन्ट	कोनार्क ट्रेडर्स मुंगेर कैशमेमो न० 686 दिनांक 9.8.11	82,503.00	12.50%	10,312.00	13.50%	11,138.00	826.00
	2,14,700.00		चिप्स	जय प्रकाश मंडल, मुंगेर, कैशमेमो न० 295 दि० 9.8. 11	17,778.00	4%	711.00	13.50%	2,400.00	1,689.00

				आर पी० एम० विक्स मुंगेर, कैशमेमो नं० 510 दि० 21. 7.11	51,388.00						
					78,103.00	4%	3,124.00	5%	3,905.00	781.00	
			सीमेंट	कोनार्क सीमेंट मुंगेर कैशमेमो नं०							
				614-15.6.11	47,526.00						
				313-20.7.11	1,22,019.00						
				113-4.12.11	34,977.00						
					204,522.00	12.50%	25,565.00	13.50%	27,610.00	2,045.00	
			चिप्स	जयप्रकाश मंडल मुंगेर कैशमेमो दिनांक							

			चिप्स	730-19.6.11	10,212.00					
				245-25.7.11	28,265.00					
				230-5.12.11	8,902.00					
					47,379.00	4%	1,895.00	13.50%	6,396.00	4,501.00
							30785.00		38592.00	7807.00
03/ 2009 10	4,46,600.00	23-09-2011	बालू	पंकज कुमार ट्रेक्टर चालक बी0 आर0 53 7274 दि0 27.5.10	10,481.00	4%	1,521.00	5%	1,901.00	380.00
ग्राम पंचायत हेमजापुर के ग्राम हेमजापुर में शरण महतो के धर के पास गली में महावीर महतो के धर तक पी0 सी0 सी0 निर्माण कार्य अभिकर्ता श्री श्याम लाल किस्क पंचायत सचिव	4,27,843.00			अरुण कुमार महतो चालक बी0 आर0 08 8969 दि0 11.07.10	4,256.00					
				गोरेलाल सिंह चालक बी0 आर0 08-81167 7274 दि0 6.12.10	7,387.00					
					22,124.00	2947 का 4%	118.00	1250%	2,765.00	2,647.00

		चिप्स	सुजीत कुमार, यादव, मुंगेर केशमेमो न0 309 दि0 1.6. 10	18,117.00					
			जय प्रकाश मंडल मुंगेर, केशमेमो न0 707 दि0 27. 05.10	9,619.00					
			कमल जेनरल स्टोर हेमजापूर केशमेमो न0 937 दि0 17. 09.10	5,378.00					
			जय प्रकाश मंडल, मुंगेर 759-11.12. 11	10,995.00					
			706-20.10. 10	7,683.00					
				51,792.00	30335 का 4%	1,213.00	12.50%	6,474.00	5,261.00

ईट	जयप्रकाश मंडल मुंगेर केशमेमो दिनांक						
	707-27.05. 10	32,535.00					
	बी० ए० सी० मुंगेर दि० 11.7.10	22,235.00					
	बी० डी० फ० मुंगेर दि० 6. 12.10	22,001.00	68883 का 4%				
		76,771.00		2,755.00	4%	3,071.00	316.00
				4,086.00		12,310.00	8,224.00
			कुल योग				19,090.00
			3059+ 7807+ 8224				19,090.00

परिशिष्ट "ज" कडिका 12 से संबंधित

योजना मद में असमायोजित अग्रिम राशि की विवरणी कुल रू० 330347.00

क्रम सं०	शीर्ष	योजना सं० / वर्ष एवं नाम	प्राक्कलित राशि	अभिकर्ता का नाम एवं पदनाम	एकरारनामा की तिथि कार्य पूर्ण करने की तिथि	अग्रिम तिथि	भुगतान राशि	अभिलेख / गद तिथि	मापी पुस्त में दर्ज कार्य पूर्ण राशि	असमायोजित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	दशम वित्त आयोग	01 / 2011-12 घरहरा प्रखंड अंतर्गत छः स्थानों पर चापाकल	78,628.00	श्री शुभूक लाल यादव, पंचायत सचिव	18-10-2011	18-10-2011	7,500.00				
					02-11-2011	25-10-2011	50,000.00				
						23-03-2012	10,000.00				
							67,500.00	25-02-2012	59,590.00	7,910.00	

2	एकादश वित्त आयोग	01/2011-12 घरहरा प्रखंड अंतर्गत 12 बारह स्थानों पर चापाकल	1,32,105.00	श्री राम विलास रजक, पंचायत सचिव	18-10-2011	18-10-2011	7,500.00				
					02-11-2011	25-10-2011	60,000.00				
						23-03-2012	50,000.00				
3	बारहवाँ वित्त आयोग	01/2011-12 घरहरा प्रखंड अंतर्गत 16 सोलह स्थानों पर चापाकल	2,50,266.00	श्री शुभक लाल यादव, पंचायत सचिव			1,17,500.00	23-02-2012	85,041.00	32,459.00	
					18-10-2011	18-10-2011	7,500.00				
					02-11-2011	25-10-2011	1,00,000.00				
						23-03-2012	1,00,000.00				
4	बी० आर० जी० एफ०	01/2010-11 घरहरा प्रखंड अंतर्गत 14 चौदह स्थानों पर चापाकल	2,21,347.00	श्री राम विलास रजक, पंचायत सचिव			2,07,500.00	28-01-2012	1,50,280.00	57,220.00	
					18-10-2011	18-10-2011	7,500.00				
					02-11-2011	25-10-2011	1,00,000.00				

					23-03-2012	60,000.00				
						1,67,500.00	21-01-2012	1,07,100.00	60,400.00	
5	बी० आर० जी० एफ०	03/2010-11 आजीमगंज पंचायत के टेगहड़ा ग्राम में अशोक कोड़ा के घर से गली में पी० सी० सी० सड़क निर्माण	17,23,000.00	श्री शुभूक लाल यादव, पंचायत सचिव	12-01-2012	25-01-2012	7,500.00			
					12-04-2012	29-02-2012	2,00,000.00			
						17-08-2012	2,30,000.00			
							4,37,500.00	16-08-2012	2,65,142.00	1,72,358.00
									कुल योग	3,30,347.00

परिशिष्ट 'ट' कांडिका 16 से संबंधित असमायोजित अस्थायी अग्रिम राशि की विवरणी								
क्रम सं०	अग्रिम पंजी का पृ० सं०	नाम एवं पदनाम	प्रयोजन	तिथि	राशि	समायोजन का विवरण		असमायोजित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	31	श्री वकील अहमद, जीप चालक	जीप बैटरी क्रय	23-02-1987	700.00	0.00	0.00	
			निर्वाचन कार्य	26-05-1992	200.00	0.00	0.00	
					900.00			900.00
2	32	श्री विष्णुकान्त शर्मा क्षेत्र पर्यवेक्षक	बल्ला क्रय हेतु	1.4.99 के पूर्व	300.00	0.00	0.00	300.00
3	33	श्री बी० डी० भास्कर जी० पी० एस	निर्वाचन कार्य	1.4.99 के पूर्व	200.00	0.00	0.00	200.00
4	34	मेसर्स संतोष इंजीनियरिंग वर्क्स, मुंगेर	जीप मरम्मत	1.4.99 के पूर्व	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

5	35	श्री शिवजी सिंह, जे० एस० एस०	वृद्धा वस्था पेंशन वितरण	1.4.99 के पूर्व	2,51,000.00	0.00	0.00	2,51,000.00
6	36	श्री वकील चौधरी सचिव प्रखंड साक्षरता समिति	साक्षरता कार्य	1.4.99 के पूर्व	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7	37	श्री अजीत कुमार, भा० प्र० से०, भू० पू० अनु० पदा० मुंगेर		1.4.99 के पूर्व	1,20,196.60	0.00	0.00	1,20,196.60
8	39	श्री पुनीता पासवान, सहायक	वैतन अग्रिम	1.4.99 के पूर्व	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
9	40	सभी मुखिया एवं अन्य व्यक्ति	गाँधी मैदान पटना जाने हेतु	1.4.99 के पूर्व	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
10	42	श्री सुदर्शन भारती, सचिव, पुखंड साक्षरता समिति घरहरा	साक्षरता कार्य	03-11-1987	500.00	0.00	0.00	500.00
11	44	श्री अशोक कुमार सचिव साक्षरता समिति, घरहरा	साक्षरता कार्य	1.4.99 के पूर्व	300.00	0.00	0.00	300.00
12	45	श्री विष्णु देव प्रसाद, जीप चालक	जीप में हर्न लगाने हेतु	06-05-1997	500.00	0.00	0.00	500.00

13	49	श्री राजेन्द्र रज्जक, पंचायत सचिव	वैतन अग्रिम	1.4.99 के पूर्व	2,000.00	0.00	0.00	
			वृद्धा वस्था पेंशन वितरण		8,400.00	0.00	0.00	
				04-08-1999				
			निर्वाचन कार्य		2,000.00	0.00	0.00	
				02-12-1999				
					12,400.00			12,400.00
14	57	श्री जगदीश प्र० यादव, पंचायत सचिव	वृद्धा वस्था पेंशन वितरण	04-08-1999	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15	62	श्री दिनेश कुमार, जगदीशपुर	जेनरेटर भाड़ा आदि		5,000.00	0.00	0.00	
				21-01-2005				
				24-10-2005	5,000.00			
				31-01-2006	10,000.00			
					20000.00			20000.00
16	69	श्री प्रभाष सिंह, पंचायत सेवक	सामाजिक सुरक्षा पेंशन		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
				25-06-2004				

17	71	श्री नरसिंह लाल देव, प्र० जे० एस० एस०	वर्षा मापक यंत्र हेतु	28-10-2004	6,850.00	0.00	0.00	
			पंचम आर्थिक जनगणना कार्य	02-06-2005	16,000.00			
					22850.00			22850.00
18	72	श्री प्रवीण कुमार पंचायत सेवक	वृद्धा वस्था पेंशन वितरण	26-04-2005	31,000.00	0.00	0.00	
			वी० पी० एल० सर्वेक्षण	04-07-2006	2,600.00			
			वृद्धा वस्था पेंशन वितरण	18-04-2006	1,19,000.00			
			वेतन अग्रिम	10-09-2007	5,000.00			
					157600			157600.00
19	76	श्री श्यामलाल किस्कू पंचायत	वी० पी० एल० सर्वेक्षण	04-07-2006	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

		सेचिव						
20	77	श्री जयप्रकाश यादव, पंचायत सचिव	वी० पी० एल० सर्वेक्षण	04-07-2006	2,600.00	0.00	0.00	
			वेतन अग्रिम	27-09-2007	10,000.00			
					12600.00			12600.00
21	78	श्री देवेन्द्र शर्मा, पंचायत सचिव	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	26-04-2005	17,800.00	0.00	0.00	
			वी० पी० एल० सर्वेक्षण	04-07-2006	2,600.00			
			सामाजिक सुरक्षा पेंशन	17-04-2006	9,600.00			
					30000.00			30000.00
22	83	श्री सुदर्शन कुमार, डीजल विक्रेता	डीजल हेतु	16-06-2005	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
23	85	पटना टेन्ट हाउस, मो० परवेज अख्तर	वि० सभा चुनाव टेन्ट अग्रिम	23-10-2005	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
24	88	श्री बहमदेव यादव, पंचायत सचिव	वी० पी० एल० सर्वेक्षण	04-01-2006	2,600.00	0.00	0.00	

			वृद्धा वस्था पेंशन वितरण	18-04-2006	11,200.00			
					13800.00			13800.00
25	91	श्री गौरी लॉती, जी० पी० कल्क	कोर्ट खर्च अग्रिम	17-10-2006	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
26	95	श्री विकास कुमार निराला, पेंटर एवं साईन आर्ट्स घरहरा	पेंटर कार्य	30-10-2007	2,000.00	0.00	0.00	
			पेंटर कार्य	26-11-2007	500.00			
			पेंटर कार्य	10-11-2008	500.00			
					3,000.00			3,000.00
27	96	श्री विक्रम प्रसाद पंचायत सचिव	वेतन अग्रिम	25-04-2009	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
28	97	मुद्रिका सिंह, जीप चालक सं० बी० आर. 08 पी० 0029 पिता - सहदेव सिंह, ग्राम+पो० - घरहरा	बाहन भाड़ा अग्रिम	25-04-2009	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
29	103	श्री रमेश प्रसाद, प्रखंड कल्याण पदा० घरहरा	त्रिदिवसीय ग्राम कचहरी प्रशिक्षण	24-11-2009	55,965.00	08-07- 2013	55,965.00	0.00

			आयोजन					
30	107	श्री रामविलास सिंह, जी० पी० एस० धरहरा	चुनाव कार्य हेतु यात्रा अग्रिम	23-03-2011	7,500.00			
			चुनाव कार्य हेतु यात्रा अग्रिम	05-04-2011	5,000.00			
					12500.00			12,500.00
31	108	श्री सरयुग रविदारा, प्र० कृषि पदा०	मतपत्र लाने कलकत्ता जाने हेतु	05-04-2011	5,000.00			5,000.00
32	109	श्री विक्रम कुमार प्र० सा० पदाधिकारी	पंचायत चुनाव वाहन अग्रिम भुगतान हेतु	27-04-2011	70,000.00	08-07- 2013	70,000.00	0.00
33	112	अंचलाधिकारी धरहरा	आर० टी० पी० एस० से संबंधित अभिश्रव	20-03-2012	1,04,790.00	30-05- 2012	1,04,790.00	0.00
34	113	श्री भरत कुमार वर्णवाल सहायक	हलसी प्रखंड जाने हेतु	17-01-2012	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					9,64,601.60	0.00	2,30,755.00	7,33,846.60

परिशिष्ट "ठ" कडिका 18 से संबंधित		
दिनांक -31.03.2012 तक अव्यवहृत राशि की विवरणी :-		
क्र० सं०	शीर्ष	राशि
1	2	3
1	प्रोत्साहन भत्ता	3,47,084.00
2	बालिका समृद्धि योजना	2,88,000.00
3	मातृत्व लाभ	190.00
4	दशम वित्त आयोग	2,42,596.13
5	सांसद योजना	3,75,907.00
6	विधान पार्षद योजना	93,473.72
7	विधायक योजना	7,62,951.00
8	2235 सामाजिक सुरक्षा (केन्द्र)	13,672.37
9	2236 सामाजिक सुरक्षा (राज्य)	5,64,200.00
10	सूद	40,71,527.25
11	पैक्स	7,800.00
12	2015 लोक सभा निर्वाचन	3,150.00
	कुल योग रू०	67,70,551.47